

**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**  
**अपील/डिक्री/टी.ए./ 1334 / 2004 / झालावाड**

- 1- जुम्मा  
2- मोबीन पिसरान मौहम्मद जान जाति मुसलमान निवासीयान भीतपुर कोडमा तहसील खानपुर —अपीलांटस

बनाम

- 1-रामस्वरुप पुत्र रामनाथ  
2- दाखा बेवा स्व. श्री रामनाथ  
3-रामगोपाल पुत्र रामनाथ समस्त जाति सोनी महाजन निवासीयान सारोलाकला तहसील खानपुर जिला झालावाड  
4-जगदीश पुत्र मथुरालाल जाति कलाल निवासी सारोलाकला तहसील खानपुरजिला झालावाड  
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर —रैस्पोंडेंटस

**खण्डपीठ**  
**श्री महावीर सिंह, सदस्य**  
**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**

**उपस्थित:-**

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट  
श्री मुकेश जैन एवं रमजान मौहम्मद अभिभाषकण रैस्पोंडेंटस

**निर्णय**

**दिनांक:14.01.2019**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं क्रोस आब्जेक्शन भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.8.2003 जो अपील संख्या 189/2002 में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार अपीलांट/वादी ने एक वाद संख्या 1701/98 अन्तर्गत धारा 188-92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक रामनाथ बनाम जुम्मा आदि उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम सारोलकला तहसील खानपुर के माल में खसरा नम्बर 678 की 05-00-00 आराजी मौहम्मद जान पुत्र यासीन खॉ के खाते में थी, उसके मरने के बाद उक्त आराजी प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट 1 से 2 के खाते में दर्ज हो गयी। बाद सैटलमेंट उक्त खसरा नम्बर के नवीन खसरा नंबर 718 कायम किये गये। यह कि रैस्पोंडेंटने झूठी मनगढन्त कूटरचना कर एक फर्जी सादे कागज पर तहरीरनामा तैयार किया गया कि खसरा नम्बर 718 मृतक मौहम्मद जान ने अपीलांट के पिता रामकिशन को दिनांक 19-2-53 को 60/- में बेचान कर दी इस कारण वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विधि विरुद्ध जाकर समस्त तनकीयात की गलत फाइण्डिंग

देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धतों की अवहेलना कर दिनांक 22-7-2002 को रेस्पोंडेंट का दावा डिक्री कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपील स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 22-8-03 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। उपरोक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3- दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों के कथनो को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में पर्याप्त शहादत रिकार्ड एवं वास्तविक पत्रावली पर उपलब्ध थे। ऐसी सूरत में विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपील अन्तिम रूप से निस्तारण कर देनी चाहिए थी लेकिन उनके द्वारा अपील को रिमाण्ड करने में कानूनी त्रुटि की हे। उनका आगे तर्क है कि जब विवादित आराजी का कोई बेचान नामा पत्रावली पर मौजूद नहीं है तो उक्त तहरीर पर विश्वास कर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने मात्र कयासों के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है। अपीलांट के पिता द्वारा कभी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं लिखी थी फिर भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए वादी/रेस्पोंडेंट का दावा डिक्री कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दावा डिक्री किया है अर्थात् उनके द्वारा निर्मित की गयी तनकियों पर जो निर्णय पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं देकर अपने समक्ष विचाराधीन अपील को स्वीकार कर, दावा को खारिज कर पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जबकि उन्हें अपने स्तर पर ही अपील स्वीकार कर दावा वादी निरस्त करना चाहिए था। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन / क्रॉस अपील को स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22-7-02 एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-8-03 को अपास्त करने व दावा वादी खारिज करने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट का तर्क है कि विवादित आराजी वादी/अपीलांट की कयशुदा आराजी है जिस पर वह तत्समय से ही काबिज काश्त है जिसकी पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत वादी/ अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये गये थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सभी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों एवं गवाहों के बयानात के आधार पर वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया था जिसको निरस्त करने में विद्वान अपील अधिकारी ने कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी

तर्क है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तहरीर दस्तावेज 30वर्ष पुराना होने से एवीडेंस एक्ट के तहत एडमिसेबिल इन एवीडेंस है जिसकी सत्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त तहरीर को विश्वसनीय नहीं मानने में कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि जब पत्रावली पर सभी दस्तावेज व साक्ष्य मौजूद थे तो विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपने स्तर पर ही प्रकरण का अन्तिम रूप से निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को गलत आधारों पर खारिज कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित कर कानूनी त्रुटि की है।

6— विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 22-8-03 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी प्रदर्श-3 में जुम्मा, गोबीन पिसरान मोहम्मदजान व नूरो बाई बेवा मोहम्मद जानके खाते में अंकित है। इस प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है विवादित आराजी रेस्पोंडेंट के नाम दर्ज चली आ रही है। रेस्पोंडेंट ने प्रदर्श पी-1 को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही प्रदर्श पी-1 के द्वारा रेस्पोंडेंट का कब्जा विवादित आराजी पर सन 1953 से हो जाने के कारण इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की है। साक्ष्य पी डब्ल्यू-2 दस्तावेज प्रदर्श पी-1 को स्वयं के सामने लिखे जाने या रेस्पोंडेंट के पिता का अंगूठा स्वयं के सामने किया जाना अपने बयान में व्यक्त किया है। जहाँ तक साक्ष्य पीडब्ल्यू -3 भी प्रदर्श पी-1 को न तो अपने सामने लिखा जाना बताया है और न ही अपने सामने रेस्पोंडेंट के पिता द्वारा अंगूठा किया जाना ही बताया है। इस प्रकार दस्तावेजी पी-1 असिद्ध दस्तावेज है जिसके आधार पर रेस्पोंडेंट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इसके विपरीत अपीलांट ने भी वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही अधिनियम की धारा 183 का काउंटर क्लेम परीक्षण न्यायालय में पेश किया था। स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से ही दावे से संबंधित समुचित दस्तावेज साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया है कि प्रकरण में पक्षकारान की पर्याप्त साक्ष्य लेकर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें, कानून सम्मत है। उक्त निर्णय में हम अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से अपनी अपील मीमों के जरिये जो तथ्य उठाये हैं, उचित नहीं है। परिणामस्वरूप हस्तगत अपील वारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7- अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-8-2003 यथावत जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।


(मनोज कुमार नाग )

सदस्य

( महावीर सिंह)

सदस्य

अपील / डिक्री / टी.ए. / 1334 / 2004 / झालावाड



बनाम

श्री अशोक कुमार, सदस्य

श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थित:-

- (1) श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांत ।
- (2) श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
- (3) श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
- (4) श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
- (5) श्री एस.के. सेठी अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांक: जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-1-10 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-10-08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-10-08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53-183-188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि ( अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र

बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा। विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके हैं। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रूप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी, का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वादीगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21-7-07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पो संख्या 1-4द्वारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन द्वारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है, जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नहीं होने के कारण दावा संधारण योग्य नहीं है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र का [वादीगण/रैस्पोडेंटस](#) ने जबाव पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-8-07 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14-8-07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16-1-08 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14-8-07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21-10-08 द्वारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21-10-08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3/09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24-5-10 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21-10-08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण/ रैस्पो. को 1/2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण

न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-5-10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9- अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-4-2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-4-2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( बी. एस. गर्ग )

सदस्य

( अशोक कुमार सांवरिया )

सदस्य